कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह

पृष्ठां. क.392/एक–15–1/17 दमोह, दिनांक 18 मार्च 2025

आदेशानुसार प्रतिलिपि :–

समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रर्वतन लिपिक/आसंजित लिपिक दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह की ओर मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पत्र कं. सी/2299/तीन–2–53/17 जबलपुर दिनांक 17.03.2025 (Circulation of Status Report approved by the Hon'ble Full Court in its Meeting held on 13-02-2025) मय संलग्न प्रोफार्मा सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी, सांख्यकीय अनुभाग
दमोह म.प्र.

664
17/3/25

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No. C/2291/
III-2-53/17

Jabalpur, dated .../03/2025

To,

The Principal District and Sessions Judge(s),
All in the State (M.P.)

Subject:- Circulation of Status Report approved by the Hon'ble Full Court in its Meeting held on 13.02.2025.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the Status Report approved by the Hon'ble Full Court in its Meeting held on 13.02.2025.

As directed, I request you to bring the same into the knowledge of all the Judicial Officers under your kind control for information, compliance and necessary action.

Encl:- As above.

17/03/2025
RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

Endt. No. C/2800/
III-2-53/17

Jabalpur, dated 17/03/2025

Copy forwarded to Registrar (J-I) for information and appropriate action.

RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

अनुलग्नक–डी

स्टेटस/प्रास्थिति प्रतिवेदन

(माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017, एम. सी.आर.सी. क्रमांक 22511/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 एवं एम.सी.आर.सी. क्रमांक 46256/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में)

क्रमांक	स्पष्टीकरण/प्रश्नों की विषय–वस्तु	स्पष्टीकरण/उत्तर
1.	विचारण पूर्ण करने अथवा साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु कार्यवाही किये जाने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायालय को किस दिनांक को प्राप्त हुआ? *(सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुपालन में)*	
2.	आदेश प्राप्त होने की तारीख से, विचारण न्यायाधीश, विचारण पूर्ण करने या साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु की गयी कार्यवाही को विनिर्दिष्ट करेगा। *(सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुपालन में)*	
3.	सम्यक प्रयासों के बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकने के कारणों को स्पष्ट किया जावे एवं क्या उसने समयावधि में अभिवृद्धि के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ तो ऐसे आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किए गए हैं? *(सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुपालन में)*	
4.	अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत अभियोजन साक्षियों की संख्या। *(एम.सी.आर.सी. क्रमांक 46256/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में)*	
5.	कितने साक्षियों (बिना साक्षी का नाम बताए) का परीक्षण किया जा चुका है? *(एम.सी.आर.सी. क्रमांक 22511 /2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)*	
6.	ऐसे साक्षियों की संख्या, जिनका परीक्षण किया जाना शेष है। *(एम.सी.आर.सी. क्रमांक 22511 /2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)*	

7.	साक्षियों के परीक्षण में हो रहे विलम्ब के कारण। *(एम.सी.आर.सी. क्रमांक 22511 /2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)*	(बिंदु क्रमांक 7 एवं 8 का स्पष्टीकरण एक अथवा दो पेज से अत्यधिक न हो) (एम. सी.आर.सी. क्रमांक 22511 /2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)
8.	उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित विशेष स्पष्टीकरण, यदि कोई हों। *(एम.सी.आर.सी. क्रमांक 22511 /2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)*	
9.	विचारण में विलम्ब अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के कारण होने की स्थिति को स्पष्ट किया जावे। *(सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 सहपठित एम.सी.आर.सी. क्रमांक 46256/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में)*	

टिप्पणीः—

1. यदि उपरोक्त बिंदुओं को स्पष्ट किए बिना स्टेटस/प्रास्थिति प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसे विचारण न्यायाधीश की निष्क्रियता और संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके नियंत्रण में न्यायाधीश कार्यरत हैं, की अक्षमता मानी जाएगी। (सी.आर.ए. क्रमांक 1477/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुपालन में)

2. विचारण न्यायालय के न्यायाधीश से अपेक्षा है कि वे संक्षिप्त प्रास्थिति प्रतिवेदन तैयार करने में न्यूनतम आवश्यक समय ही लगाए क्योंकि प्रास्थिति प्रतिवेदन आहूत करने का एकमात्र उद्देश्य आरोपी या शिकायतकर्ता के अधिकारों का संरक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अन्य कोई निर्देश देने की आवश्यकता है। (एम.सी.आर.सी. क्रमांक 22511/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में)

3. विचारण न्यायालय द्वारा विचारण समाप्त करने के लिए विहित समयावधि में अभिवृद्धि करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिए उपरोक्त प्रारूप प्रयुक्त किया जा सकेगा। (माननीय फुल कोर्ट बैठक के संकल्प क्रमांक 12 दिनांकित 13.02.2025 के अनुपालन में)